

वित्त मंत्रालय  
मांग संख्या 33  
लोक उद्यम विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	16.15	...	16.15	21.81	...	21.81	27.00	150.00	177.00	30.00	...	30.00
वसूलियां	-0.04	...	-0.04	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	16.11	...	16.11	21.81	...	21.81	27.00	150.00	177.00	30.00	...	30.00
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	12.44	...	12.44	13.26	...	13.26	20.20	150.00	170.20	21.45	...	21.45
2. वास्तविक वसूलियां	-0.03	...	-0.03	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>12.41</b>	...	<b>12.41</b>	<b>13.26</b>	...	<b>13.26</b>	<b>20.20</b>	<b>150.00</b>	<b>170.20</b>	<b>21.45</b>	...	<b>21.45</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं</b>												
केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के उपयुक्त कर्मचारियों के लिए परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण और पुनर्नियोजन												
3. परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण और पुनर्नियोजन योजना	0.75	...	0.75	3.40	...	3.40	2.70	...	2.70	3.40	...	3.40
4. केन्द्रीय लोक उद्यमों (सीपीएसई) और राज्य स्तरीय लोक उद्यमों से संबंधित जेनेरिक मुद्दों पर अनुसंधान, विकास एवं परामर्श	2.95	...	2.95	5.15	...	5.15	4.10	...	4.10	5.15	...	5.15
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं</b>	<b>3.70</b>	...	<b>3.70</b>	<b>8.55</b>	...	<b>8.55</b>	<b>6.80</b>	...	<b>6.80</b>	<b>8.55</b>	...	<b>8.55</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>16.11</b>	...	<b>16.11</b>	<b>21.81</b>	...	<b>21.81</b>	<b>27.00</b>	<b>150.00</b>	<b>177.00</b>	<b>30.00</b>	...	<b>30.00</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>आर्थिक सेवाएं</b>												
1. उद्योग	3.69	...	3.69	7.70	...	7.70	6.12	...	6.12	7.70	...	7.70
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	12.42	...	12.42	13.26	...	13.26	20.20	...	20.20	21.45	...	21.45
3. अन्य उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	...	...	...	...	...	...	...	150.00	150.00	...	...	...
<b>जोड़-आर्थिक सेवाएं</b>	<b>16.11</b>	...	<b>16.11</b>	<b>20.96</b>	...	<b>20.96</b>	<b>26.32</b>	<b>150.00</b>	<b>176.32</b>	<b>29.15</b>	...	<b>29.15</b>
<b>अन्य</b>												
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	0.85	...	0.85	0.68	...	0.68	0.85	...	0.85

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-अन्य	...	...	...	0.85	...	0.85	0.68	...	0.68	0.85	...	0.85
कुल जोड़	16.11	...	16.11	21.81	...	21.81	27.00	150.00	177.00	30.00	...	30.00

1. **सचिवालय-आर्थिक सेवाएं:** (i) इसके अंतर्गत विभाग के सचिवालय, सरकारी क्षेत्र के महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न उद्यमों के गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशकों के चयन के लिए सर्व समिति पर व्यय के लिए निधि उपलब्ध कराई जाती है। इसमें प्रशिक्षण, हार्डवेयरों और सॉफ्टवेयरों की अधिप्राप्ति के साथ-साथ सॉफ्टवेयर के विकास एवं रखरखाव तथा कार्यालय परिसर के आधुनिकीकरण सहित सूचना प्रौद्योगिकी के लिए भी निधि का प्रावधान किया जाता है। (ii) गैर-प्रमुख आस्तियों, जिनमें सरकारी मंत्रालयों/विभाग और लोक उद्यमों के पास पड़ी फालतू भूमि शामिल हैं, के मुद्रीकरण के लिए गठित विशेष प्रयोजनीय साधन, जो एक कम्पनी है, में निवेश के निमित्त।

3. **परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण और पुनर्नियोजन योजना:** केंद्रीय लोक उद्यमों के पृथक्कृत कर्मचारियों/वीआरएस विकल्पधारियों के परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण तथा पुनर्नियोजन के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निधि (एनएसडीएफ)/राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) को फंड प्रदान किया जाता है। इस स्कीम की निगरानी तथा मूल्यांकन के लिए भी फंड का उपयोग किया जाता है। सी. आर. आर. स्कीम से जुड़े हुए परामर्शदाताओं के भुगतान।

4. **केन्द्रीय लोक उद्यमों और राज्य स्तरीय लोक उद्यमों से संबंधित जेनेरिक मुद्दों पर अनुसंधान, विकास एवं परामर्श :** निधि का उपयोग (i) सम्मेलनों / सेमिनारों / कार्यशालाओं के आयोजन तथा समझौता ज्ञापन एवं उस पर वार्ता तथा मूल्यांकन प्रक्रिया सहित केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के जेनेरिक मुद्दों पर विषय वस्तुगत अध्ययन/परामर्श करने, (ii) केन्द्रीय लोक उद्यमों के कार्यपालकों एवं कर्मचारियों तथा लोक उद्यम विभाग के कर्मचारियों को कार्यपालकों एवं कर्मचारियों के कौशल विकास प्रशिक्षण के अंतर्गत प्रशिक्षण देने, (iii) गैर सरकारी निदेशकों पर विशेष जोर के साथ सीपीएसई के बोर्डों में शामिल निदेशकों को प्रशिक्षण देना दिशा-निर्देशों में शामिल किया गया है (iv) समझौता ज्ञापन से संबंधित कार्यकलापों की प्रशासनिक एवं संचार तंत्र व्यवस्था से जुड़े विभिन्न व्यय को दिशा-निर्देशों में शामिल किया गया है (v) अंतर्राष्ट्रीय उद्यम संवर्धन केन्द्र (आईसीपीई) को अंशदान का भुगतान करने, (vi) आरडीसी स्कीम से जुड़े परामर्शदाताओं/प्रोग्रामरों आदि को भुगतान आरडीसी स्कीम से किया जाना प्रस्तावित किया गया है और (vii) केन्द्रीय लोक उद्यमों/राज्य लोक उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण के प्रकाशन के लिए किया जाता है।